न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 21/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मगाराम पुत्र शोभाराम जाति सुथार निवाी नाकोड़ा तहसील सिणधरी		1. लालाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट निवासी कौशलू तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयक सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री रामजीवन विशनोई वकील वादी।
2. प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 07.01.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर व खसरा संख्या 368/69 रकबा 6.0998 हैक्टयर की अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। कि वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी के पास ही प्रतिवादी सख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 36/14 क्षेत्रफल 0.3317 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी एव कब्जा काश्त की अलग आई हुई जिसमे वादी ने अपने रहवास हेतु ढाणी व पानी के साधन पशुओ के बाडे इत्यादि बना रखे है तथा शान्ति पुर्वक काबिज होकर काश्त का उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। कि वादी सुथार जाति से है तथा सुथारी कार्यों के साथ खेती कर अपना गुजर बसर करते है। क्यूकि वादी शाति प्रिय व्यक्ति है तथा शाति मे विष्वास रखते है प्रतिवादी सख्या 1 बाहुबल तथा धनबल वाला व्यक्ति होने हमेशा वादी पर सरजोर रहता है तथा अपने धनबल का रोप वादी पर बनाये हुए है। तथा प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सख्या 1 झगडालू प्रवृति का कूर्र व्यक्ति है। प्रतिवादी सख्या 1 वादग्रस्त खेत की वर्षों पुरानी माठो को अपने टेक्टर से वादी की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने के लिए माठ को तोड कर बिच की माठ को हटा रहे है तथा वादी के सडक के पास आई आराजी के समतल व किमती भाग पर कब्जा करने पर उतारू होकर वादी को बेदखल करने पर उतारू है। कि प्रतिवादी सख्या 1 ने अपने आदमीयो व मजदुरो सहीत वादी की बिच की माठ को तोडने लगे जिस पर गाम के मौजिज लोगो से पंचायती करवाई तो जिस पर वादी के द्वारा मना करने पर प्रतिवादी सख्या 1 व उनके परिवार के सदस्य व मजदुर मान तो गये लेकिन वादी का उक्त खेत को अपने खेत मे मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रतिवादी सख्या 1 धनवान साधन सम्पन व्यक्ति होने व्यर्थ में मुकदमे बाजी व पेचिदगीया होगी प्रतिवादी सख्या 1 अपने आदतो से बाज नही आयेगा जबकि वादग्रस्त आराजी वादी की आवगी आराजी है, इस कारण वादी प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्ध इस आषय की स्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का मुस्तक है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधररी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी के विद्वान वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर व खसरा संख्या 368/69 रकबा 6.0998 हैक्टयर की अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। कि वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी के पास ही प्रतिवादी सख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 36/14 क्षेत्रफल 0.3317 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी एव कब्जा काश्त की अलग आई हुई जिसमे वादी ने अपने रहवास हेतु ढाणी व पानी के साधन पशुओ के बाडे इत्यादि बना रखे है तथा शान्ति पुर्वक काबिज होकर काश्त का उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। कि वादी सुथार जाति से है तथा सुथारी कार्यों के साथ खेती कर अपना गुजर बसर करते है। क्यूकि वादी शाति प्रिय व्यक्ति है तथा शाति मे विश्वास रखते है प्रतिवादी सख्या 1 बाहुबल तथा धनबल वाला व्यक्ति होने हमेशा वादी पर सरजोर रहता है तथा अपने धनबल का रोप वादी पर बनाये हुए है। तथा प्रतिवादी सख्या 1 झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है। प्रतिवादी सख्या 1 वादग्रस्त खेत की वर्षों पुरानी माठो को अपने टेक्टर से

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादी की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने के लिए माठ को तोड कर बीच की माठ को हटा रहे है तथा वादी के सडक के पास आई आराजी के समतल व कीमती भाग पर कब्जा करने पर उतारू होकर वादी को बेदखल करने पर उतारू है। कि प्रतिवादी सख्या 1 ने अपने आदमीयो व मजदुरो सहीत वादी की बिच की माठ को तोडने लगे जिस पर ग्राम के मौजिज लोगो से पंचायती करवाई तो जिस पर वादी के द्वारा मना करने पर प्रतिवादी सख्या 1 व उनके परिवार के सदस्य व मजदुर मान तो गये लेकिन वादी का उक्त खेत को अपने खेत मे मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रतिवादी सख्या 1 धनवान साधन सम्पन व्यक्ति होने व्यर्थ में मुकदमे बाजी व पेचिदगीया होगी प्रतिवादी सख्या 1 अपने आदतो से बाज नही आयेगा जबकि वादग्रस्त आराजी वादी की आवगी आराजी है, इस कारण वादी प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसके अनुसार वादी की खातेदारी की भूमि मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर व खसरा संख्या 368/69 रकबा 6.0998 हैक्टयर की अवस्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। कि वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी के पास ही प्रतिवादी सख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 36/14 क्षेत्रफल 0.3317 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी एव कब्जा काश्त की अलग आई हुई जिसमे वादी ने अपने रहवास हेतु ढाणी व पानी के साधन पशुओ के बाडे इत्यादि बना रखे है तथा शान्ति पुर्वक काबिज होकर काश्त का उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। प्रतिवादी सख्या 1 वादग्रस्त खेत की वर्षों पुरानी माठो को अपने टेक्टर से वादी की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने के लिए माठ को तोड कर बीच की माठ को हटा रहे है तथा वादी के सडक के पास आई आराजी के समतल व कीमती भाग पर कब्जा करने पर उतारू होकर वादी को बेदखल करने पर उतारू है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि वादी की पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की है तथा इसके लगती हुई प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 36/14 रकबा 0.3317 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर पड़ौसी खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा खेत की माठ तौड़ने के तथ्यों की पुष्टि वादी अपनी एकपक्षीय कार्यवाही के जरिये पत्रावली में अपनी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों में साबित करने में सफल रहे है।ऐसी स्थिति प्रतिवादी को वादी के खातेदारी जोत की सीमा तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नाकोड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 36/24 रकबा 0.1618 हैक्टयर के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 को वादी के खातेदारी जोत की सीमा तक की कब्जे काश्त की मौका स्थिति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा खुर्द–बुर्द नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी